प्रा0पत्र / 01 / 2024 न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

थानाधिकारी पुलिस थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर,

बनाम .....प्रार्थी0

वाहन स्वामी रिसाल पुत्र उमर मोहम्मद निवासी रूड़का थाना सदर नूँह जिला नूँह

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बाबत एफ.आई.आर न. 183 / 2021 धारा 5,6,8 आर बी. एक्ट में जप्त वाहन के बाबत।

उपस्थित :–

1–श्री मुकीमखान अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 03.05.2024**

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) पेश किया गया , जो संक्षेप में इस प्रकार है कि जरिये मुखबिर खास की दिनांक 26.06.2021 को सूचना पर की एक ट्रक रजि0 नंम्बर आरजे 14 जीजे 3839 जिसमें अवैध गौवंश भरकर लाया जा रहा है जो अभी–अभी गुन्डवा टोल से निकला है। उक्त इत्तला से हमराई जाप्ता को अवगत कराते हुये मौके से रवाना होकर दिनांक 26.06.2021 को समय करीब 04:05 एएम पर मथुरा बाईपास तुहिया चौराहा पर पहुँच बैरीकेट लगाकर नाकाबंदी प्रारम्भ की गई दौराने नाकाबंदी एक ट्रक मुताबिक मुखवीर खास की इत्तला के रजि0 नं0 आरजे 14 जीजे 3839 तिरपाल से ढका हुआ 12 चक्का गुण्डवा टोल की तरफ से आता हुआ नजर आया। ट्रक को रोककर मौके पर जॉच की गई तो उसमें 23 गौवंश (14 गाय व 9 बैल) जिनकी गर्दन मुँह रस्से से जकडे हुये एक दूसरे के ऊपर पटक कर बांध रखे थे। जिनमें से कई गौ वंश तो बेहाल व अधमरे हो रखे थे, जिन्हे निर्दयता पूर्वक भर रखा था। जिन्हें गौकशी हेतु सीमावर्ती राज्य उ0 प्र0 व हरियाणा ले जा रहे थे। उक्त गौवंश को जप्त किया जाकर गौशाला गढी सांवलदास में जमा कराया, तथा ट्रक रजि0 नं0 आरजे 14 जीजे 3839 को गौवंश को राजस्थान सीमा से उ0प्र0 व हरियाणा में परिवहन करने में लिप्त पाये जाने पर उक्त

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

ट्रक को जप्त कर थाना परिसर में खडा किया गया है। प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नाटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक मुकीम खान ने वकालतनामा मय जबाब पेश किया जो शामिल मिसिल किया गया। अप्रार्थी अभिभाषक को सुना गया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया है कि पुलिस द्वारा उक्त वाहन को हालत तथ्यों के आधार पर जप्त कर झूठा फंसाया गया है, प्रार्थी गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है, उक्त वाहन प्रार्थी की आय का जरिया है। उक्त वाहन पुलिस थाना उद्योग नगर में खुले में खडा हुआ है। जिससे वाहन के खराब होने की पूर्ण सम्भावना है। इसलिये प्रार्थना पत्र 6 ए को निरस्त किया जाकर जप्त वाहन सं0 आरजे 14 जीजे 3839 को छोडे जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक के कथनों पर गौर किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि दिनांक 26.06.2021 को पुलिस द्वारा गौवंश भरकर राजस्थान सीमा से उ0 प्र0 व हरियाणा को परिवहन करते हुये जप्त किया गया है जिसमें 23 (14 गाय व 9 बैल) गौवंश जिनकी गर्दन मुँह रस्से से जकडे हुये एक दूसरे के ऊपर पटक कर बांध रखे थे। जिनमें से कई गौ वंश तो बेहाल व अधमरे हो रखे थे जिन्हे निर्दीयता पूर्वक भर रखा था। पत्रावली में उपलब्ध नकल एफ.आई.आर., फर्द जप्ती गौवंश, जप्ती वाहन, फर्द पुछताछ, बयान मौका गवाहन से यह निर्विवाद है कि जप्त ट्रक वाहन गौवंश को अवैध रुप से परिवहन करते पाया गया है। जिसे हम राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते है।

अधिनियम का अध्ययन किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 6 Transporter to be abettor:–

".....Whenver the bovine animals are trasported by any means of transport in furtherance of the object of colimission of any offence under this Act, the transporter shall be gulity of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provid under section 8 of the Act for person committing the said offence....."

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 **की धारा 11** :–

"Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 01 / 2024
थाना अधिकारी उद्योग नगर बनाम रिसाल

अधिनियम की धारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6ए का अवलोकन किया गया :–

3– Insrtion of new section 6-A, Rajasthan Act No. 23 of 1995- After the exisstiong section 6 and before the existiog section 7 of the principal Act the following new section shall be inserted,namely :

6-A Confiscation of the means of conveyance-(1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.....Provided also that before ordering confisction under this sub-section(1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance.

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत जप्त वाहन संख्या ट्रक रजि0 नं0 आरजे 14 जीजे 3839, 12 चक्का वाहन पर राशि 25000/– (पच्चीस हजार रुपये) जुर्माना (Fine) लगाया जाता है। जुर्माना राशि 30 दिवस में जमा नहीं कराने पर जप्त वाहन स्वतः राजसात (confiscate) हो जावेगा।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है। अधिनियम की धारा 6(ए)(1) में दिये गये प्रावधान को मध्य नजर रखते हुये जप्त वाहन संख्या ट्रक 12 चक्का रजि0 नं0 आरजे 14 जीजे 3839 वाहन 30 दिवस के अन्दर वाहन पर जुर्माना (Fine) राशि 25000/– (पच्चीस हजार रुपये मात्र,) राजकोष में जमा करादें तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। बाद गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना उद्योग नगर, भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर